

11/24

जमीनी श्री विवेक कुमार पुत्र श्री लालचंद जी मोंटा  
 निम्बोडा, गवलील-रेवड नं. खं. 331 व 324  
 रकबा- 6.07 व 7.07 बीघा ही वारी नं  
 322 व 325 के मध्य से रात्री को मोगरी की  
 जमीनी की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं  
 किया गया इसलिए एक्जल्टा कार्यवाही अगल  
 में लाई गई।

वकीलदारा, रेवड से मोंटा  
 जांच रिपोर्ट मंगवाई गई।

जांच रिपोर्ट में जमीनी की

श्रीमि के ऊपर-पास कम कोई रास्ता  
 नहीं बना बताया है, जमीनी नं. खं. स.  
 325 व 322 के मध्य सीमा पर रास्ता  
 दिया जाना जरूरी बताया है।

इस प्रकार रात्री की कटमाधिक  
 आवाज मोगरी है एवं केलिठ साधु का  
 अंगण होना जाहिर होता है। इस प्रकार  
 प्रतीक-पत्र द्वारा 281/51 के वदल पोषण  
 होने से एक्जल्टा रूक जाया है।

वकीलदारा, रेवड को कारोवाई  
 दिया जाता है कि जमीनी को खं. नं. 325  
 नं. स. 287.5 X 6 व खं. नं. 322 में स. 287.5 X 6  
 रास्ता हेतु विनाशकारी कार्यवाही को  
 जमीनी से अलग की दुगुनी दल से रात्री  
 वदल वल रात्री को मोंटा जमीनी  
 एवं खं. स. 322 व 325 के एक टिप्पण  
 कउमल खालेदारों को दुगुना दिया  
 जाता है।

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मोंटा (राज.)

